



न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 67/2015

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

श्री जहीर हुसैन उम्र 30 वर्ष पुत्र मो० हुसैन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 7 मांगरोल
जिला बारां

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपरिस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- श्री सत्येन्द्र जामोदिया अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 02.07.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री जहीर हुसैन पुत्र मो० हुसैन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 7 मांगरोल जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मांगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा, गम्भीर मारपीट एवं दहेज की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2005 से 2013 की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिसमें से यह अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 07 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध 41/110 जा०फो० के तहत भी इसदादी कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	186/2005	13 आर०पी०जी०ओ०	158/24.09.2005	सजा/
2.	118/2007	307,382, 341, 323,325, 34 आईपीसी	114/19.08.2007	पे.कोर्ट

3.	159 / 2007	498ए,304, 306, 34 आईपीसी	25 / 11.02.2008	पे.कोर्ट
4.	277 / 2010	13 आर0पी0जी0ओ0	216 / 12.12.2010	सजा / 10.01.2011
5.	16 / 2011	13 आर0पी0जी0ओ0	10 / 22.01.2011	सजा / 29.01.2011
6.	268 / 2012	13 आर0पी0जी0ओ0	198 / 22.11.2012	सजा / 18.12.2012
7.	133 / 2013	13 आर0पी0जी0ओ0	108 / 19.07.2013	सजा / 18.11.2013
8.	159 / 2013	13 आर0पी0जी0ओ0	119 / 25.07.2013	सजा / 06.12.2013
9.	234 / 2013	13 आर0पी0जी0ओ0	180 / 25.10.2013	सजा /

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर. पी.जी.ओ. के 07 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 09.10.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ज्य सम्मन तलबी की गई। गैरसायल उपस्थित हुआ एवं गैरसायल दिनांक 17.06.2019 को अनुपस्थित रहने पर गैरसायल को जर्ज्य गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया गया। गैरसायल की ओर से श्री सत्येन्द्र जामोदिया अभिभाषक द्वारा मय वकालतनामा प्रार्थना पत्र बाबत जमानत प्रस्तुत किया गया। गैरसायल को आरोप सुनाया गया। उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया गया ओर निवेदन किया गया कि मैं बीमार हो जाने के कारण इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 17.06.2019 को उपस्थित नहीं हो सका। गैरसायल से इस न्यायालय में हाजरी बाबत वांछित राशि के जमानत मुचलके चाहे गये। जो प्रस्तुत करने में वह असमर्थ रहा। इस पर गैरसायल द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, गैरसायल के हस्ताक्षर पत्रावली पर करवाये जाकर रिहा किया गया ओर गैरसायल में नाम जारी गिरफ्तारी वारन्ट अदम तामील में वापिस मंगवाये जाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल में नाम तहरीर जारी की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2005 से 2013 की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिसमें से यह अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 07 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध 41/110 जा0फो0 के तहत भी इसदादी कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद

भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी हैं। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा निवेदन किया गया कि जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा गाँव यहाँ से 40 कि.मी. दूरी पर स्थित है। मैं गाँव में ही मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना मांगरोल द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर में पुलिस थाना सीसवाली किया जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 2005 से 2013 की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये हैं। जिसमें से यह अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 07 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध 41/110 जा0फो0 के तहत भी इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री जहीर हुसैन पुत्र मो0 हुसैन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 7 मांगरोल जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है। क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 07 प्रकरणों में न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री जहीर हुसैन पुत्र मो0 हुसैन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 7 मांगरोल जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री जहीर हुसैन पुत्र मो0 हुसैन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 7 मांगरोल जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मांगरोल से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि

मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं का मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसालय के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 20.07.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां